

आदेश - पत्रक

350/13-14

अनुसूची 14-फारम नं० 562

(दिल्ली अधिनियम, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक
जिला

से
दा० खा० वा० सं०

आदेश की क्र० सं० और ता०	आदेश और परामर्शकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित																				
1	2	3																				
	<p>श्री <u>मोहम्मद अली</u></p> <p><u>स/रफ़ अफ़्जल ख़ान</u> ग्राम <u>होदी बाजार</u></p> <p>तहसील <u>राजिठला</u> जिला <u>पटना</u></p> <p>फारम नं० <u>1573</u> दिनांक <u>29/3/08</u></p> <p>जो आधार पर यह कार्रवाई जमाने पर दाखिल खरिज हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है।</p> <table border="1" data-bbox="243 1142 1055 1366"> <thead> <tr> <th>श्री का नाम</th> <th>श्री का नं०</th> <th>खाला नं०</th> <th>खसरा</th> <th>एराजी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>मोहम्मद अली</u></td> <td><u>22/28</u></td> <td><u>201</u></td> <td><u>1360</u></td> <td><u>1361</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><u>117</u></td> <td><u>50</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td><u>47</u></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>मूल आवेदन पत्र इसका कॉपी श्री अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन हेतु दे दें। मजाल पर सूचना जारी कर आपत्ति को मांग कर। अधिलेख दिनांक <u>01/4/13</u> को उपस्थित करें।</p> <p>अंचल अधिकारी <u>MS</u> अंचल अधिकारी <u>MS</u></p> <p>मजाल पर नामला नोटिस प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। परामर्शकारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उन लोगों ने आवेदन के नाम सहित आवेदन करने की अनुमति किये हैं। आवेदन उनके अनुसार ही अंचल पर दाखिल किया गया है।</p> <p>दिनांक 29/3/08</p>	श्री का नाम	श्री का नं०	खाला नं०	खसरा	एराजी	<u>मोहम्मद अली</u>	<u>22/28</u>	<u>201</u>	<u>1360</u>	<u>1361</u>			<u>117</u>	<u>50</u>					<u>47</u>		<p>का कारवाई 9/4/13</p>
श्री का नाम	श्री का नं०	खाला नं०	खसरा	एराजी																		
<u>मोहम्मद अली</u>	<u>22/28</u>	<u>201</u>	<u>1360</u>	<u>1361</u>																		
		<u>117</u>	<u>50</u>																			
			<u>47</u>																			